(2)

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम- 06, 2001) का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । - (1) यह अधिनियम झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) या केन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 का संशोधन । - (1) मूल अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:-

''(4) यदि उपधारा (3) में वर्णित अवधि की समाप्ति के पूर्व, ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उस पंचायत के संबंध में, छः मास से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (4) के बाद एक नई उपधारा (5) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:-

''(5) महामारी जिसमें ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस ग्राम पंचायत या उन ग्राम पंचायतों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी।''

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:-

''(4) उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत समिति पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि के समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उसके संबंध में छः मास से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर पंचायत समिति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (4) के बाद एक नई उपधारा (5) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:

''(5) महामारी जिसमें पंचायत समिति या पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस पंचायत समिति या उन पंचायत समितियों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी।''

4. मूल अधिनियम की धारा 57 का संशोधन: (1) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:

''(4) उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व जिला परिषद् पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उसके संबंध में छः माह से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 57 की उप धारा (4) के बाद एक नई उपधारा (5) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:

''(5) महामारी जिसमें जिला परिषद या जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस जिला परिषद् या उन जिला परिषदों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी।''

5. मूल अधिनियम की धारा 107 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 107 की उप धारा (5) के बाद एक नई उपधारा (6) निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी:

''(6) महामारी जिसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के पुनर्गठन के लिए आम निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) की उपधारा (3) (ख) (ग) एवं उपधारा (4) के उपबंध उस ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी । ''

6. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ:- झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए निर्गत आदेश, अधिसूचनाएं एवं अन्य कोई भी कार्यवाही या अन्य कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था, अथवा कार्रवाई की गयी थी ।

उद्देश्य एवं हेतु

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के पश्चात् कार्य संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् महामारी जिसमें चुनाव कराना संभव न हो की उत्पन्न स्थिति के लिए प्रावधान निर्धारित करने हेतु झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में संशोधन करना झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) 2021 का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही विधेयक का अभिष्ट है।

(आलमगीर आलम)
भार साधक सदस्य।

झा०रा०मु०राँची (विधि) 11(A)--200--7-9-2021 ।